

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरु

पीठासीन अधिकारी: राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या- 2017/00163

दायर दिनांक 03.10.2017

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरु

-सायल-

बनाम

1. रमजान खां पुत्र भंवरु खां जोईया, मैसर्स-जोया कोल्ड ड्रिंक्स छापर रोड

सुजानगढ जिला चूरु (राज.)

2. आसु गुप्ता पुत्र भूपेश कुमार, गुप्ता प्रबंधक, मैसर्स - दादु एग्रो (इंडिया) प्रा.

लि. A-178 DSIDC Industrial Area, Narela North West Delhi-110040

-गैरसायल-

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 को उपधारा 2 (11)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज

:-

2. श्री नरेन्द्र सिहाग, श्री संजय सिहाग एडवोकेट वास्ते गैरसायलान

निर्णय

दिनांक 22.07.2019

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर (ऑनलाईन पोर्टल) किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :-

1. यह कि मैं नागरमल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन दिनांक 09.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 17.11.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चूरु में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।



अति. जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
चूरु

2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.05.2017 को 01:15 पी.एम. पर मै0 जोड़या कोल्ड ड्रिंकस्,सुजानगढ़ के गोदाम पर पहुंचा। वहां पर रमजान खां अपनी गोदाम पर Sweetened Carbonated Beverage Brand Dadu(Fountain Day) बेचने हेतु रखा पाया गया। मैंने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। श्री रमजान खां से पुछने पर बताया कि मैं Sweetened Carbonated Beverage Brand Dadu(Fountain Day) बेचने का कार्य करता हूँ।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि 20 बॉक्स में 250 एमएल की सील बन्द 480 बॉतल, Sweetened Carbonated Beverage Brand Dadu(Fountain Day), बेचने हेतु पायी गई। Sweetened Carbonated Beverage Brand Dadu(Fountain Day)] में मिलावट की शंका होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता रमजान खां को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए की प्रति न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह है की 250 एमएल के 48 सील बन्द बॉतल, Sweetened Carbonated Beverage Brand Dadu(Fountain Day), वास्ते जंच नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री रमजान खां को 480/-रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान लालचन्द एवं श्री इस्लामुदीन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Sweetened Carbonated Beverage Brand Dadu(Fountain Day) की 48 बॉतलो को बारह-बारह बॉतल चार गते के डिब्बो में बन्द करके नमूने के चार भाग बनाये प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने के भाग पर लेबल चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल-1576 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर खाद्य पदार्थ की किस्म, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म अंकित कि लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारो नमूनों के भागों को अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरु की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल-1576 नियमानुसार चारों नमूनों के भागो पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूने के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये



मि. जिला कलेक्टर
जिला मजिस्ट्रेट
चूरु

कि हस्ताक्षर पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेंपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवायें। चारों नमूनों के भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया। मौके की फर्द रिपोर्ट बनाकर खाद्य कारोबार कर्ता एव गवाहान को पढा सुनाकर मौके पर हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने हस्ताक्षर किये।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर नमूने के एक भाग को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की एक प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूने पर मुख्य विषलेशक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या, खाद्य पदार्थ की किस्म एवं दिनांक डालकर मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफें मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील बन्द लिफाफे में अलग से राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रति जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष दो भाग फार्म न. 6 की दो प्रतियों के साथ आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अग्रेसण पत्र क्रमांक-1096 दिनांक 19.06.2017 प्राप्त हुआ, जिसके साथ खाद्य विशलेशक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस. 1241/एक्ट/2017/1308 दिनांक 06.06.2017 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया Sweetened Carbonated Beverage Brand Dadu(Fountain Day)] सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। मैसर्स-जोया कोल्ड ड्रिंकस् सुज नगढ़ ने उक्त माल खरीद का बिल मैसर्स-दादु एग्रो (इण्डिया) प्रा० लि०, नरेला, का सिरियल नं. 289 दिनांक 12.04.2017 का पेश किया।



NM
अति. जिला कलेक्टर
अति० जिला मजिस्ट्रेट
चूरु

8. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु मुख्यालय रतनगढ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/1173 दिनांक 02.08.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।
9. यह कि उक्त प्रकरण रमजान खां वगैरह में सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड, Sweetened Carbonated Beverage Brand Dadu(Fountain Day), का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिहाग ने दिनांक 15.11.2017 को वकालतनामा पेश किया। गैरसायल के अधिवक्ता को परिवाद का जवाब पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये थे। दिनांक 24.05.2018 को जवाब पेश नहीं करने पर जवाब प्रक्रिया बंद कर दी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Beverage Brand Dadu(Fountain Day) का सेम्पल नं. एल-1976 FOOD रिपोर्ट संख्या एल.एस./1241/एक्ट/2017/1308 दिनांक 06.06.2017 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड व मिसब्राण्ड होना पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावे।

गैरसायल के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कहा कि तकनीकी खामी के कारण उत्पाद पर बैस्ट वीफॉर की जानकारी छप नहीं सकी। जिस कारण सैंपल लेने पर यह उत्पाद मिसब्राण्ड हुआ है। केवल तकनीकी खामी के कारण गैरसायलान के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना विधिसंगत नहीं है। इसलिए प्रकरण को इसी स्टेज पर ड्रॉप फरमायी जावे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ व गैरसायलान के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Beverage Brand Dadu(Fountain Day) की रिपोर्ट संख्या एल.एस./1241/एक्ट/2017/1308 दिनांक 06.06.2017 से सबस्टैण्डर्ड (Under



अति. जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
चूरु

Section 3(1)(zx) of FSS Act, 2006) व मिसब्राण्ड (Under Section 3(1)(zf)(c)(i) होने से Regulation 2.2.2 (10) (packaging and labelling) होना पाया गया है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Beverage Brand Dadu (Fountain Day) बेचने के कारण एवं उक्त कृत्य प्रथम बार होने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल रमजान खां पुत्र भंवरू खां जोईया, मैसर्स-जोया कोल्ड ड्रिंक्स छापर रोड़ सुजानगढ जिला चूरु (राज.) पर 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) तथा आसु गुप्ता पुत्र भूपेश कुमार, गुप्ता प्रबंधक, मैसर्स - दादु एग्रो (इंडिया) प्रा.लि. A-178 DSIDC Industrial Area, Narela North West Delhi-110040 पर 15,000/- रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायल को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड-0210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियाँ, (03)- खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
अति० जिला मजिस्ट्रेट
चूरु

